

न्यायालय-एकादश अति० मो०दु०दा० अधिकरण, बिलासपुर (छ 0 ग 0)
(पीठासीन अधिकारी - विजेन्द्र सोनवानी)

MACT - 3222/2025

सतरूपा सिदार एवं अन्य विरुद्ध जगेश्वर प्रसाद एवं अन्य

22.07.2026

आवेदकगण की ओर से श्री निखिल जायसवाल अधिवक्ता ।

अनावेदक क्र 01 एवं 02 द्वारा श्री अजय चंद्रा अधिवक्ता ।

अनावेदक क्र 03 द्वारा श्री डी एल देवांगन अधिवक्ता ।

प्रकरण आवेदन पर विचार/आदेश हेतु नियत है ।

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 359(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 359(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में उभयपक्ष आपस में रिश्तेदार हैं एवं एक ही गांव के निवासी हैं तथा दोनों पक्षों के मध्य बिना किसी डर दबाव व प्रलोभन के स्वतंत्रतापूर्वक राजीनामा होने से वे प्रकरण की कार्यवाही आगे नहीं चलाना चाहते हैं । अतः उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर उक्त प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण वर्तमान में जवाबदावा के स्तर पर है एवं आवेदकगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उभयपक्ष का राजीनामा होना व्यक्त करते हुए प्रकरण की कार्यवाही को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया गया है । अतः आवेदकगण के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

(विजेन्द्र सोनवानी)

एकादश अति० मो०दु०दा० अधिकरण
जिला-बिलासपुर (छ 0 ग 0)